No.2-1/2019.-Estt. Government of India Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Deptt.of Agriculture & Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi Dated: June, 2022

VACANCY CIRCULAR

Sub: Filling up of the post of Assistant Director (OL) in Directorate of Extension, Department of Agriculture & Farmers Welfare by Composite Method.

One post of Assistant Director (OL) in the pay scale of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay of Rs.5400/- (Level 10 in Pay Matrix recommended by 7th CPC), General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial in Directorate of Extension, Pusa, New Delhi is proposed to be filled up by Composite method [Deputation plus promotion] from amongst the officers from the Central or State Governments or Union-territories:

- a. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or,
 - (ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) + Grade Pay Rs. 4600/- (Level 7 in Pay Matrix recommended by 7th CPC); and
- b. Possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:

 Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

OR

Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;
OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of a examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and

 Three years experience of using or applying terminology (terminological works) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.

OR

Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.

Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th Schedule of the Constitution at 10th level from a recognized board.

- 2. The Departmental Senior translator with three years regular service in Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4600/- shall also be considered along with outsiders and if he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.
- 3. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The upper age limit for appointment by deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- 4. Officers selected will have the option to draw his grade pay plus deputation(duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the Department of Personnel and Training's O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17th June 2010, as amended from time to time.

- 5. Applications of interested and eligible officers, who could be spared in the event of their selection, may be sent, through proper channel, in the enclosed proforma (in Triplicate/set of three copies) along with the documents mentioned below so as to reach the "Section Officer (Extension), Room No. 332, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi" within 60 <u>days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rojgar Samachar. <u>While forwarding the applications, the sponsoring organizations should verify and certify that the particulars furnished by the applicant are correct. The Certification shall be done by the Employer/Cadre controlling officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Govt. of India at the last page No. 5 of Bio-data Proforma. The applications should be sent along with the following documents.</u>
 - i. Cadre Clearance

ii. Vigilance Clearance

iii. Integrity Certificate signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Government of India

iv. Major/Minor Penalty Statement during last ten years

v. Photocopies of ACRs/APARs of last five years i.e. from 2016-17-2020-21 duly attested on each page by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India. If for some reasons, the ACRs/APARs of the officer have not been written for a particular year or a part of a year, a 'No Report Certificate' (NRC) for the period may be sent along with the ACRs/APARs of the corresponding previous year (s).

vi. Self attested photocopies of the Degree Certificates, experience certificates or any other document in support of educational qualification/details/information as

mentioned in the Bio-Data of the applicant.

6. Applications received after the last date or without the above mentioned documents or otherwise found incomplete, will not be considered.

(D. Ponni)

Under Secretary to the Govt. of India Tel.-23382013

E-mail: ponni.d@nic.in

Copy forwarded to:

All Ministries/Departments of the Central Government

2. Secretaries (Agriculture) of State Governments/ UT Administrators.

- 3. Secretary, Department of Official languages, Ministry of Home Affairs.
- 4. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
- Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer), North Block, New Delhi.
- NIC, DOP&T, North Block, New Delhi, with the request to upload on their website.
- Under Secretary (Services), Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs, B-Wing, NDCC-II Bhavan, Jai Singh Road, New Delhi- 110001.
- Division of Retraining and Redevelopment, Department of Personnel and Training, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.
- Official Language Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
- 10. NIC Cell, Official Language Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Shastri Bhawan with the request to upload on their website.
- All Officers in the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare. Applications may please be sent through the concerned Establishment Sections.
- 12. All attached/subordinate offices under the Deptt. Of Agriculture & Farmers Welfare.
- 13. The Chief Administrative Officer, Ministry of Defence (DH, PC), New Delhi.
- 14. Hindi Anubhag, DA&FW.
- 15. Estt. I/II Sections.
- 16. Estt. III for notice board.
- 17. Director (Administration), Directorate of Extension, Pusa, New Delhi (for uploading on their website).
- NIC, DA&FW (for uploading on the website of Department of Agriculture & Farmers Welfare).
- 19. Director General, MANAGE, Hyderabad (for uploading on their website).
- 20. All sections D/o Official Languages, MHA.
- 21. Guard File.

ANNEXURE-I

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1. Name and Address with Conto (in Block Letters) No. and E-mo	ril ID.		
2.Date of Birth (in Christian era)			
3.i) Date of entry into service			
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules			
4.Educational Qualifications			
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state			
the authority for the same) Qualifications/ Experience recommentioned in the advertisement circular	quired as ent/ vacancy		s/ experience possessed by the officer
Essential		Essential	
A) Qualification		A) Qualification	
B) Experience		B) Experience	
Desirable		Desirable	
A) Qualification		A) Qualificati	
		B) Experience	e Desirable Qualifications as
mentioned in the RRs by the Adm	e Employment in Post Graduat candidate. In the light of entered the requirement the requirement.	ews. Qualification	Essential and Desirable Qualifications as ment/Office at the time of issue of Circular as Elective/ main subjects and subsidiary
6.1 Note: Borrowing Department Essential Qualification data) with reference to the pos	A MOLK Exhering	ovide their s	specific comments/ views confirming the I by the Candidate (as indicated in the Bio-

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution Post held on regular basis	The first of the	From	То	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Duties (in detail) highlighting experience
			required for the post applied for		
Mportant: 0				MACP are personal to the	

y-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned . Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay , Pay Band, and Grade Pay	ruicated as below;	-/ 11/16/6 2/
	drawn under ACP / MACP Scheme	From	То
R Nature 6			

hoc or Temporary or Que or Permanent 9.In case the present enter the deputation of the please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointm on deputation/contract	office/organization to which the applicant belongs.	post and pay
Z Note: Informati	Column 9(c) & (d) above	ne applications of such officers at along with Cadre Clearance, we must be given in all cases the cadre/ organization but	organisation

enclosed.

Basic Pay with Scale of Pay and rate of

increment

Dearness Pay/interim relief /other Allowances etc., (with break-up

Total Emoluments

16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for

details)

(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii)

Date

professional training and the	
professional training and (iii) work experience over and above prescribed in	
above prescribed in the Vacancy	
Circular/Advertisement) the Vacancy	
(Note: Enclose a separate sheet, if the space is	
in the chiclose a separate sheet if the	
insufficient) a separate sheet, if the space is	
16.B Achievements:	
The candidates are requested to indicate information with regard to;	
with regard to;	
(i) Research publications and reports and special	
projects publications and reports and special	
/iii A	
(II) Awards/Scholarships/Official	
(ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with	
bodies/institutions/societies and professional	
bodies/institutions/societies and; the professional	
(IV) Patents registered in own name	
(iv) Patents registered in own name or achieved for the	
(V) Any research (
(v) Any research/ innovative measure involving official	
recognition vi) any other information.	
Note: Enclose a separate of	
Note: Enclose a separate sheet if the space is	
7. Please state	
and the state whether you are and	
7. Please state whether you are applying for eputation (ISTC)/Absorption/Re-applying	
Officers under Controller Vice-employment Basis #	
Officers under Central/State Governments are only overnment Organizations are eligible.	
Overnment - Absorption". Candidates of	
overnment Organizations are eligible only for Short	
erm Contract)	15
The ontion of the	
The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment'	
e available only if the vacancy circular specially	
intioned recruitment by godincy circular specially	X
e-employment").	
ment).	
Miles	
Whether belongs to SC/ST	
1 h	
I have carefully gone through the vacancy circular/adv rmation furnished in the Curriculum Vitae duly supported	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

	Signati	ure of th	e candida
Addre:			

3

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

- Also certified that;
- There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt.
- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed..
- iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years <u>Or</u> A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

फा.सं. 2-1/2019-स्थापना भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 6 जून, 2022

रिक्ति परिपत्र

विषयः विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग विभाग में सम्मिश्र पद्धति से सहायक निदेशक (रा. भा.) के पद को भरा जाना।

विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली में सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय में 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में 10 वें स्तर या पूर्व-संशोधित वेतनमान 15600-39100 (पीबी-3) + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- सहायक निदेशक (रा. भा.) का एक पद केंद्रीय सरकार सरकार या संघ राज्य के अधीन उन अधिकारियों में से सम्मिश्र पद्धति [प्रतिनियुक्ति के साथ पदोन्नति] से भरा जाना प्रस्तावित है:-

- 1. (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में सदृश पद धारण करते हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में (रुपये 9300-34800) पे बैंड 2
- + ग्रेड पे 4600 रुपये (7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो; और
 - (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:-

अनिवार्य

 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम, के रूप में, के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम, के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री; और

ii. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या प्राइवेट सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसन्धान या शैक्षणिक संस्थाओं के अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य और पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का उपयोग या प्रयोग करने का तीन वर्षों का अनुभव हो।

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसन्धान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसन्धान में तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव हो।

वांछनीय

संविधान की 8वी अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के अतिरिक्त किसी एक भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वी स्तर पर अध्ययन।

- 2. विभागीय ज्येष्ठ अनुवादक जिसने पे- बैंड 2 (9300-34800 रुपए)+ग्रेड पे 4600 रुपए (7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7) में 03 वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी बाह्य आवेदकों के साथ विचार किया जाए गा और यदि इस पद के लिए उसकी नियुक्ति हो जाती है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।
- 3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकरी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार कि ए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से

ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया <u>तीन वर्ष</u> से अधिक नहीं होगी । प्र तिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को <u>56 वर्ष</u> से अधिक नहीं होगी ।

- 4. चयनित अधिकारी को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 जून,
 2010 के का0ज्ञा0सं0
 स्था.(वेतन ॥) के अनुसार इस पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने अथवा अपने पूर्व पद से संबंधित ग्रेड वेतन त
 था प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा।
- 5. इच्छुक और पात्र अधिकारियों, जिन्हे उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (तीन प्रति यों में) संलग्न प्रोफार्मा में नीचे दिए गए दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से इस विज्ञापन के एम्प्लायमेंट न्यूज/रो जगार समाचार में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर 'अनुभाग अधिकारी (विस्तार), कमरा संख्या 332, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ' को अग्रेषित किए जाएं । आवेदन अग्रेषित करते समय प्रायोजित संगठनों को यह सत्यापि त तथा प्रमाणित करना चाहिए कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त विवरण सही है । ये प्रमाणीकरण जीवन वृत्त प्रपत्र (बा योडाटा प्रोफार्मा) के अंतिम पृष्ठ संख्या छह पर, ऐसे नियोक्ता या कैडर नियंत्रक अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो भारत सरकार के उप सचिव / निदेशक की रैंक के नीचे ना हो ।
- 6. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाने की आवश्यकता है।
 - i. कैडर क्लीयरेंस।
 - ii. सतर्कता संबंधी निकासी।
- iii. सत्यिनिष्ठा प्रमाण पत्र जो भारत सरकार के उप सिचव / निदेशक के पद के स्तर से कम के अधिकारी से हस्ताक्षरित न हो ।
- iv. पिछले दस वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति के संबंध में विवरण।
- v. पिछले पांच वर्षों अर्थात 2016-17 से 202021 की एसीआर/एपीएआर रिपोर्ट की छाया प्रतियां जिसका प्रत्येक
 पृष्ठ ऐसे अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम का
 ना हो। यदि किसी कारण से किसी अधिकारी की किसी विशिष्ट वर्ष अथवा वर्ष की अवधि की एसी
 आर/एपीएआर नहीं लिखी गई है तो पिछले वर्ष की संगत अवधि की एसीआर/एपीएआर के साथ उ
 स अवधि के लिए ''कोई रिपोर्ट नही प्रमाणपत्र (एनआरसी)'' संलग्न करें।

vi. आवेदक के बायोडाटा में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता / विवरण / जानकारी के समर्थन में डिग्री प्रमा ण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी।

8.अंतिम तिथि के पश्चातप्राप्त

अथवा अद्यतन गोपनीय रिपोर्टों अथवा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और सतर्कता निकासी के बिना प्राप्त आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(डी. पोन्नी)

अवर सचिव भारत सरकार

दूरभाष: 23382013

ई-मेल: ponni.d@nic.in

प्रति प्रेषितः

- 1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।
- 2. सचिव (कृषि), सभी राज्य सरकार संघ राज्य /।
- 3. सचिव , राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
- 4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 6. अवर सचिव (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, NDCC-II भवन , बी विंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001।
- 7. रिटेनिंग एंड डेवलपमेंट विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-3 ।
- 8. राजभाषा विंग, विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 9. एनआईसी सेल, राजभाषा विंग, विधान विंग, विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी वेबसाइट में अपलोड करने अनुरोध के साथ ।
- 10. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 11. कृषि एवं किसानकल्याण विभाग के सभी अधिकारी। आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें।
- 12. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/ अधीनस्त कार्यालय।
- 13. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय(डीएच,पीसी), नई दिल्ली।

- 14. सभी अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
- 15. हिन्दी अनुभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
- 16. स्थापना ।/॥ अनुभाग।
- 17. स्थापना -॥। नोटिस बोर्ड के लिए।
- 18. निदेशक (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)।
- 19. एनआईसी (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)।
- 20. महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)
- 21. गार्ड फाईल।

जीवन वृत्त प्रपत्र 1. नाम व पद स्पष्ट अक्षरों में :. टेलीफोन नंबर: ई-मेल आईडी: 2. जनम तिथि (ईस्वी सन में): 3. i) सेवा में आने की तिथि li) केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवत्ति की तारीख: 4.शैक्षणिक अर्हताएं: 5.क्या उक्त पद में लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं संतोषजनक है (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष माना गया है तो इसके लिए प्राधिकारी को विवरण दें) विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र के किए गए उल्लेख के अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अन्भव अनुसार अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव अनिवार्यः अनिवार्य: (क) अर्हता (理) (क) अर्हना अन्भव (ख) अनुभव वांछनीय: वांछनीय: (क) अर्हता (क) अर्हता (ख) अन्भव (ख) अनुभव 5.1 टिप्पणी : इस कॉलम को रोजगार समाचार में परिपत्र मे जारी करने और विज्ञापन मे जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आर आर मे किए गए उल्लेख के अनुसार अनिवार्य और वांछित अर्हताओं में सुधार की आवश्यकता है। 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं मे उम्मीदवार के द्वारा वैकल्पिक/ मुख्य विषय तथा सहायक विषय

6.कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के	
लिए निर्धारित अनिवार्य तथा कार्य अनुभव योग्यता को पूरा करते हैं।	

के बारे में बताया जाए

6.1 उम्मीदवार द्वारा धारित अनिवार्य अर्हताओं/कार्य के अनुभव के संबंध में पुष्टि करते हुए उद्दयत विभाग आवेदित पद के संदर्भ में अपनी विशेष टिप्पणी/राय दें।(जैसा कि बायो –डाटा में उल्लेख किया गया है।)

7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से यथा अधिप्रमाणित एक पृथक शीट संलग्न करें :-

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	आवेदित पर के लिए अपेक्षित कार्य का स्वरूप अपेक्षित अनुभव को दर्शाते हुए

महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत दिया गया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है अत्: इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जहां उम्मीदवार द्वारा लाभ लिया गया है, के साथ एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा निम्न अनुसार दर्शाएं।

कार्यालय/संस्थान	ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी.के आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/	तक
	वेतनमान	

8.वर्तमान रोजगार का स्वरुप अर्थात तदर्थ या अस्थाई या अर्धस्थायी या स्थायी:	
9.यदि मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर धारित हो तो उल्लेख कीजिए:	

(ख)प्रतिनियुक्ति/संविदा पर	(ग)मूल कार्यालय/संगठन का	(घ) पैतृक संगठन
नियुक्ति की अवधि:	नाम जिससे आप संबंधित हैं:	में नियमित

9.1 टिप्पणी : यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ऐसे अधिकार का आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग की अनापत्ति, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित भेजा जाना चाहिए।

9.2 टिप्पणी : उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) ओर (घ) के अन्तर्गत उनके मूल कैडर/संगठन के अधिकार में रखते हुए कैडर/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित करने वाले व्यक्ति के सभी मामलों में सूचना दी जानी चाहिए।

10.यदि आवेदक द्वारा विगत में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया हो तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि तथा अन्य वितरण।

11.वर्तमान् रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण।	
कृपया उल्लेख करें कि क्या निम्नलिखित के तहत	
कार्य कर रहे हैं :-	
(क) केन्द्र सरकार	
(ख)राज्य सरकार	
(ग) स्वायतशासी संगठन	
(घ) सरकारी उपक्रम	
(ङ) विश्वविद्यालय	
(च) अन्य	
12.कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेणी में हैं या सम्पोषक	
श्रेणी के सम्पोषन में हैं।	
त्रणा क तस्त्रापण में हा	
13.क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां तो	
वह तारीख बताएं जब से संशोधन हुआ और	
संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	
,	
14.इस समय आहरित की जा रही प्रतिमास कुल	
परिलिब्धयां:	

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
15.यदि आवेदक किसी संगठन	ंसे सम्बधित है जो केन्द्र सर तन बेतन पर्ची जमा कराए	कार के वेतनमान का अनुपालन नहीं करता है तो जिसमें निम्निलखितं ब्यौरा दिया गया हो।

वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के माथ मूल वेतन	मंहगाई भन्ता/अंतरिम राहत/ अन्य भन्ते (पूरे ब्यौरे के साथ) आदि	कुल परिलाब्धया
	ગાય	

16- क. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसे पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे इसमें

- (।) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता
- (।।) व्यवसायिक प्रशिक्षण और
- (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के बारे में सूचना प्रदान करें (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)

16 (ख). उपलब्धियां:

उम्मीदवार निम्नलिखित के संबंध में सूचना दर्शाए:

- (।) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजना।
- (॥) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/ सरकारी प्रशस्तिपत्र
- (III) व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटी के साथ संबंध:
- (IV) अपने नाम से या संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट
- (V) सहकारी मान्यता को शामिल करते हुए कोई अनुसंधान/नवीन उपाय
- (VI) कोई अन्य सूचना
- (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)

17. कृपया उल्लेख करें क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी) आम्मेलन/पुनर्नियोजन के लिए आवेदन कर रहे हैं? (केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी ही 'आमेलन' के लिए पात्र है। गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पाविध संविदा के पात्र है)

#('एसटीसी'/आम्मेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प उपलब्ध है यदि केवल रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से 'एसटीसी'अथा 'आम्मेलन' या 'पुनर्नियोजन'द्वारा रिक्ति का उल्लेख किया गया हो)''

18. ^व से हैं	क्या	आप	अनुसूचित	जाति/अनुसूचित	जनजाति

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं इस बात से अच्छी प्रकार से अवगत हूं कि इस पद पर चयन के समय पर मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों से समर्थित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना चयन समिति द्वारा आकलित किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/व्यौरा सत्य है और मेरी जानकारी में सत्य है मेरे चयन पर कोई भी सत्य न ही छुपाया गया है और न ही रोका गया है।

	(आवेदक के हस्ताक्षर)
पता	

नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना विवरण सही है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लेख किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते है यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाएगा।

2.	यह	भी	प्रमाणित	किया	जाता	क्र	किः
----	----	----	----------	------	------	-----	-----

- (i) श्री/श्रीमती के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचारधीन नहीं है।
- (ii) उनका/उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- (iii) उनका/उनकी सीआर डोजियर मूल में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उपर रैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्ष के एसीआर की छाया प्रति संलग्न है।
- (iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शस्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उनपर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षर	

(नियोक्ता /कैडर नियंत्रण प्राधिकारी, मोहर सहित)

फा.सं. 4-7/2015-विस्तार (Vol-II)

भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृष एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक: 3) मई , 2022

रिक्ति परिपत्र

विषय: विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर संयुक्त निदेशक (विस्तार) के दो पदों को भरा जाना ।

विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, गैर मंत्रालयी में 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में 11वां स्तर में संयुक्त निदेशक (विस्तार) के दो पदों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी स्वायत्त तथा राज्य संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधानों या परिषदों के अधीन उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (लघु अविध अनुबन्ध सहित) पर भरे जाने के लिये प्रस्तावित है।

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैन्ड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रूपये या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो;

तथा

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों-

अनिवार्य:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि अथवा कृषि विस्तार में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में बैचलर की डिग्री के साथ ग्रामीण प्रबंधन में मास्टर डिग्री; या व्यापार प्रशासन में मास्टर; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि व्यापार प्रबंधन या सागभाजी विज्ञान, उद्यान-कृषि, या कृषि वानिकी में मास्टर डिग्री या कृषि इंजीनियरी में डिग्री।
- (ii) प्रशासन या कृषि प्रबंधन या विस्तार कार्यक्रम या कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि या विस्तार कार्यक्रमों, विस्तार कार्मिकों और कृषकों को प्रशिक्षण देने के प्रति विशेष निर्देश के साथ अध्यापन के क्षेत्र में समन्वय और निरीक्षण या कृषि विस्तार अथवा विस्तार कार्यक्रमों के निष्पादन का तीन वर्ष का अनुभव

वांछनीय :

विस्तार प्रशिक्षण कार्यकम विनिर्मित करने और संचालित करने में तीन वर्ष का अनुभव।

- 2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- 3. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत) अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत) अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति जिसके अंतर्गत) अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 4. संयुक्त निदेशक (विस्तार) के के पद कर्तव्य इस प्रकार हैं-: i) देश में कृषि विस्तार संबंधी परियोजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयन करने में सहायता करना।
- ii) कृषि विस्तार और विस्तार सुधार, कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, मास मीडिया, किसान कॉल सेंटर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों मे प्रशिक्षण कार्यक्रम व बैठक की समीक्षा के माध्यम कृषि विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करना , हालांकि, क्षेत्रों का दौरा व हितधारकों से रिपोर्ट प्राप्त करना आदि।
- 5. चयनित अधिकारी को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समयसमय- पर दिनांक 17 जून, 2010 के का0ज्ञा0सं0 6/8/2009-स्था. (वेतन II) के अनुसार इस पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने अथवा अपने पूर्व पद से संबंधित ग्रेड वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा।
- 6. इच्छुक और पात्र अधिकारियों, जिन्हें उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (तीन प्रतियों में) संलग्न प्रोफार्मा में नीचे दिए गए दस्तावेजों सिहत उचित माध्यम से इस विज्ञापन के एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर 'अनुभाग अधिकारी (विस्तार), कमरा संख्या 332, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली' को अग्रेषित किए जाएं । आवेदन अग्रेषित करते समय प्रायोजित संगठनों को यह सत्यापित तथा प्रमाणित करना चाहिए कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त विवरण सही है । ये प्रमाणीकरण जीवन वृत्त प्रपत्र (बायोडाटा प्रोफार्मा) के अंतिम पृष्ठ संख्या छह पर, ऐसे नियोक्ता या कैडर नियंत्रक अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो भारत सरकार के उप सचिव/ निदेशक की रिंक के नीचे ना हो।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाने की आवश्यकता है।

- (i) कैंडर क्लीयरेंस।
- (ii) सतर्कता संबंधी निकासी।
- (iii) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो भारत सरकार के उप सचिव / निदेशक के पद के स्तर से कम के अधिकारी से हस्ताक्षरित न हो ।
- (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति के संबंध में विवरण ।

- (ए) पिछले छः वर्षों अर्थात 2016-17 से 2020-21 की एपीएआर रिपोर्ट की छाया प्रतियां जिसका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम का ना हो । यदि किसी कारण से किसी अधिकारी की किसी विशिष्ट वर्ष अथवा वर्ष की अविध की एसीआर/एपीएआर नहीं लिखी गई है तो पिछले वर्ष की संगत अविध की एसीआर/एपीएआर के साथ उस अविध के लिए ''कोई रिपोर्ट नहीं प्रमाणपत्र (एनआरसी)'' संलग्न करें।
- (vi) आवेदक के बायोडाटा में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता जानकारी के समर्थन में डिग्री प्रमाण / विवरण / पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी।

7. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त अथवा उपर्युक्त दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(डी. पोन्नी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23382013

ई-मेल: ponni.d@nic.in

प्रति प्रेषित:

. . .

(i) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।

(ii) सचिव (कृषि), सभी राज्य सरकार सरकारसंघ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।

(iii) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

(▽) एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ I

(vi) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अधिकारी । आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें ।

(vii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।

(viii) कृषि विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के /सभी कुलपति ।

(ix) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय (डीएच, पीसी), नई दिल्ली ।

(x) स्थापना- 1/11 अनुभाग।

(xi) स्थापना-III नोटिस बोर्ड के लिए।

(xii) निदेशक (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए) ।

(xiii) एनआईसी (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)।

(xiv) महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)

(XV) गार्ड फाईल ।

जीवन वृत्त प्रपत्र

जावन वृत्त प्रथम	
1. नाम व पद स्पष्ट अक्षरों में :.	
टेलीफोन नंबर:	
ई-मेल आईडी:	
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):	
3. i) सेवा में आने की तिथि	
li) केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:	
4.शैक्षणिक अर्हताएं:	
5.क्या उक्त पद में लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं संतोषजनक है (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष माना गया है तो इसके लिए प्राधिकारी को विवरण दें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र के किए गए उल्लेख के अनुसार अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
अनिवार्य:	अनिवार्य:
(क) अर्हता (ख)	(क) अर्हता
अनुभव	(ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव
5.1 टिप्पणी : इस कॉलम को रोजगार समाचार में परि समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आर आ वांछित अर्हताओं में सुधार की आवश्यकता है। 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं मे उम्मीदवार के ह के बारे में बताया जाए	र मे किए गए उल्लंख के अनुसार आनवाय आर

6.कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के	
लिए निर्धारित अनिवार्य तथा कार्य अनुभव योग्यता को पूरा करते हैं।	
6.1 उम्मीदवार द्वारा धारित अनिवाये अहेताओं विभाग आवेदित पद के संदर्भ में अपनी विशेष ि	/कार्य के अनुभव के संबंध में पुष्टि करते हुए उदृयत टेप्पणी/राय दें।(जैसा कि बायो –डाटा में उल्लेख किया
गया है।)	

7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से यथा अधिप्रमाणित एक पृथक शीट संलग्न करें :-

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	■ 201 Machini Cont. Cont. Cont.
×					

महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत दिया गया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है अत्: इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जहां उम्मीदवार द्वारा लाभ लिया गया है, के साथ एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा निम्न अनुसार दर्शाएं।

कार्यालय/संस्थान	ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी.के धारित पद का वेतन बैंड औ वेतनमान	आधार पर से रग्रेड वेतन/	तक
8.वर्तमान रोजगार अस्थाई या अर्धस्थाः	का स्वरुप अर्थात तदर्थ या यी या स्थायी:		
9.यदि मौजूदा रोज आधार पर धारित ह	गार प्रतिनियुक्ति /संविदा के ो तो उल्लेख कीजिए:		
(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:	(ख)प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि:	(ग)मूल कार्यालय/संग नाम जिससे आप संबंधि	ठन का (घ) पैतृक संगठन त हैं: में नियमित आधार पर धारित पट का

9.1 टिप्पणी : यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ऐसे अधिकार का आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग की अनापत्ति, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित भेजा जाना चाहिए।

नाम तथा वेतन

	में प्रतिनियुक्ति पर	
कोई पद धारित किया गया		
प्रतिनियुक्ति से लौटने की	तिथि तथा अन्य	
वितरण।		
1231 8-11		
11.वर्तमान रोजगार के बारे में	अतिरिक्त विवरण ।	
कृपया उल्लेख करें कि क्या रि		
कार्य कर रहे हैं :-		
(क) केन्द्र सरकार		
(ख)राज्य सरकार		
(ग) स्वायतशासी संगठन		
(घ) सरकारी उपक्रम		
(ङ) विश्वविद्यालय		
(च)अन्य		
12.कृपया बताएं कि क्या	थाप उसी विभाग में	
कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेण	ी में हैं या सम्पोषक	
श्रेणी के सम्पोषन में हैं।		
त्रणा क सम्भावन म हा		
13.क्या आप संशोधित वेतनम	गन में हैं ? यदि हां तो	
वह तारीख बताएं जब से	संशोधन हुआ और	
वह ताराख बताए जब स संशोधन पूर्व वेतनमान का भी	उल्लेख करें।	
संशोधन पूर्व वतनमान का ना	0419 1141	
14.इस समय आहरित की उ	ना रही प्रतिमास कल	
The second secon		
मार्गालंकश्चाः		
परिलिब्धयां:		
परिलिब्धयाः		
	गेर वेतन	कल परिलब्धियां
वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के साथ मूल वेतन	मंहगाई भत्ता/अंतरिम राहत/ अन्य भत्ते (पूरे ब्यौरे के साथ) आदि	कुल परिलब्धियां

16- क. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसे पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे इसमें (ा) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता (ा) व्यवसायिक प्रशिक्षण और (ाा) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के बारे में सूचना प्रदान करें (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)	
16 (ख). उपलब्धियां: उम्मीदवार निम्निलिखित के संबंध में सूचना दर्शाए: (I) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजना। (II) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/ सरकारी प्रशस्तिपत्र (III) व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटी के साथ संबंध; (IV) अपने नाम से या संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट (V) सहकारी मान्यता को शामिल करते हुए कोई अनुसंधान/नवीन उपाय (VI) कोई अन्य सूचना (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)	
17. कृपया उल्लेख करें क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी) आम्मेलन/पुनर्नियोजन के लिए आवेदन कर रहे हैं? (केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी ही 'आमेलन' के लिए पात्र है। गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पाविध संविदा के पात्र है)	
(नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।) 17. कृपया उल्लेख करें क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी) आम्मेलन/पुनर्नियोजन के लिए आवेदन कर रहे हैं? (केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी ही 'आमेलन' के लिए पात्र है। गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पाविध संविदा के	

#('एसटीसी'/आम्मेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प उपलब्ध है यदि केवल रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से 'एसटीसी'अथा 'आम्मेलन' या 'पुनर्नियोजन'द्वारा रिक्ति का उल्लेख किया गया हो)''

0	जाति/अनुसूचित जनजाति		
(त आप अनुसूचित :	i	
	18. 和	inc it	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं इस बात से अच्छी प्रकार से अवगत हूं कि इस पद पर चयन के समय पर मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अह्ता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों से समर्थित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना चयन समिति द्वारा आकलित किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा सत्य है और मेरी जानकारी में सत्य है मेरे चयन पर कोई भी सत्य न ही छुपाया गया है और न ही रोका गया है।

	25
	हस्य
-	6
	6
	(आव

पता....

नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना विवरण सही है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लेख किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते है यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाएगा।

 यह 	ह भी प्रमाणित किया जाता है कि:,
(i)	श्री/श्रीमती के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामल लम्बित/विचारधीन नहीं है।
(ii)	उनका/उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
(iii)	उनका/उनकी सीआर डोजियर मूल में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उपर रैंक वे किसी अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्ष के एसीआर की छाया प्रति संलग्न है।
(iv)	पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शस्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उनपर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)
	प्रतिहस्ताक्षर
	—————————————————————————————————————

F.No. 4-7/2015-Extn.(Vol-II)

Government of India

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department of Agriculture & Farmers Welfare

> Krishi Bhavan, New Delhi Dated: 3 May, 2020

VACANCY CIRCULAR

Sub: Filling up of two posts of Joint Director (Extension) in Directorate of Extension, Department of Agriculture & Farmers Welfare on deputation (ISTC).

Two posts of Joint Director (Extension) in the pay Level 11, General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial is proposed to be filled up in Directorate of Extension, New Delhi on deputation basis (including Short Term Contract) from amongst the officers under Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi-Government autonomous and State organizations or Agricultural Universities or recognized research institutions or Councils:-

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/- (Level 10 in Pay-Matrix by 7th CPC) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience as under:-

Essential

- (i) Master's degree in Agriculture or Agriculture Extension from a recognised university or institute or Master's degree in Rural Management or Master of Business Administration with a Bachelor's degree in Agriculture from a recognised University or Institute or Master's Degree in Agriculture Business Management or Vegetable Sciences or Horticulture or Agro-Forestry, or Degree in Agriculture Engineering from a recognised University or Institute;
- three years' experience in coordination and overseeing or execution of Agricultural Extension or Extension Programme in the field of administration or Management of Agriculture or Extension Programme or teaching experience at college or university level in Agriculture or Extension Programme with special reference to training of extension personnel and farmers.

Desirable:

Three years' experience in formulation and conduct of extension training programmes.

2. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Contd/-

- 3. Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.
- 4. <u>Duties attached to the post of Joint Director (Extn)</u> are as under:-
- i) To assist in the formulation and implementation of agricultural extension related projectsthrough out the country.
- ii) To review & monitor implementation status of the Agricultural Extension Schemes like Extension Reforms, Agri-Clinics & Agri-Business Centres, Agricultural Extension though Mass Media, Kisan Call Centres, Training Programmes through National, Regional & State Level institutions-through Review Meeting, Field Visits, Reports from Stakeholders etc.
- 5. Officers selected will have the option to draw his grade pay plus deputation(duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the Department of Personnel and Trainings O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17th June 2010, as amended from time to time.
- 6. Applications of interested and eligible officers, who could be spared in the event of their selection, may be sent, through proper channel, in the enclosed proforma (in Triplicate/set of three copies) along with the documents mentioned below so as to reach the "Section Officer (Extension), Room No. 332, Department of Agriculture, & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi within 60 <u>days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News/RojgarSamachar. <u>While forwarding the applications, the sponsoring organisations should verify and certify that the particulars furnished by the applicant are correct. The Certification shall be done by the Employer/Cadre controlling officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Govt. of India at the last page No. 5 of Bio-data Performa. The applications should be sent alongwith the following documents.</u>
 - (i) Cadre Clearance
 - (ii) Vigilance Clearance
 - (iii)Integrity Certificate signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Government of India
 - (iv) Major/Minor Penalty Statement during last ten years
 - (v) Photocopies of ACRs/APARs of last five years i.e. from 2016-17 to 2020-21 duly attested on each page by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India. If for some reasons, the ACRs/APARs of the officer have not been written for a particular year or a part of a year, a 'No Report Certificate' (NRC) for the period may be sent along with the ACRs/APARs of the corresponding previous year (s).
 - (vi) Self attested photocopies of the Degree certificates, experience certificates or any other document in support of the educational qualification/details/information as other mentioned in the Bio-Data of the applicant.

7. Applications received after the last date or without the above mentioned documents or otherwise found incomplete will not be considered.

Pour 105/2022

(D. Ponni) Under Secretary to the Govt. of India Tel.-23382013 E-mail:ponni.d@nic.in

Copy forwarded to:

1. All Ministries/Departments of the Central Government

2. Secretaries (Agriculture) of State Governments/Administrators of Union Territories.

3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.

- 4. Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer), North Block, New Delhi.
- 5. NIC, DOP&T, North Block, New Delhi, with the request to upload on their website.
- 6. All Officers in the Deptt. of Agriculture, & Farmers Welfare. Applications may please be sent through the concerned Establishment Sections.
- 7. All attached/subordinate offices under the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare.
- 8. All Vice-Chancellors of Agriculture Universities/Recognised Research Institutions.
- 9. The Chief Administrative Officer, Ministry of Defence (DH, PC), New Delhi.
- 10. Estt. I/II Sections.
- 11. Estt. III for notice board.
- 12. Director (Administration), Directorate of Extension, Pusa, New Delhi (for uploading on their website).
- 13. NIC, DA&FW (for uploading on the website of Department of Agriculture, & Farmers Welfare).
- 14. Director General, MANAGE, Hyderabad (for uploading on their website)
- 15. Guard File.

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1. Name and Address	
(in Block Letters) Contact No.	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
	,
ii) Date of retirement under	The state of the s
Central/State Government Rules	
4.Educational Qualifications	
5. Whether Educational and	
other qualifications required for	
the post are satisfied. (If any	
qualification has been treated	
as equivalent to the one	
prescribed in the Rules, state	
the authority for the same)	
Qualifications/ Experience requ	AS AND THE SECOND AND ASSESSMENT OF A SECOND
mentioned in the advertisemen	vacancy
circular	
Essential	Essential
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
Desirable	Desirable
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
	amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as
	rative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular
and issue of Advertisement in the Er	
[[- 하막 다양일인 하기 Pin (1) '라면 (t Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary
subjects may be indicated by the ca	- WALL
6. Please state clearly whether in th	
made by you above, you mee	
Essential Qualifications and work ex	erience of the
post.	
9	
5 1 Note: Describe Describe	are to avoide their enseits comments/ views confirming the
	are to provide their specific comments/ views confirming the
relevant Essential Qualification/ W	k experience possessed by the Candidate (as Indicated in the Bio

data) with reference to the post applied.

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	То	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for
Important: Pay-b					

*Important: Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay , Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP / MACP Scheme	From	То

8.Nature of present emplo hoc or Temporary or Qu or Permanent	pyment i.e. Ad- asi-Permanent		•
9.In case the present e held on deputation/co please state-	mployment is entract basis,		
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation
Vigilance Clearance and Into 9.2 Note: Information und where a person is holding a	e parent cadre/ Department	applications of such officers along with Cadre Clearance, must be given in all cases the cadre/ organization but	

10. If any post held on I	Deputation in t	ha		
past by the applicant,	date of retu	ne		
from the last deputation and other		20		
details.		er		
1				
i				
1		1		
11 Addising Land				
11.Additional details ab	out present			
employment:		1		
Please state whether wo	rking under	1		
(indicate the name of yo	ur employer			
against the relevant colu	mn)			
Common and relievant cord	111114	1		
a) Central Governm	ant.	1		
b) State Governmen		1		
		1		
,	anization			
d) Government Und	lertaking	İ		
e) Universities				
f) Others				
12. Please state whe	ther you are	9		
working in the same D	epartment and	i l		
are in the feeder grade	e or feeder to			
feeder grade.				*
13. Are you in Revised S	cale of Pay? I	f		
yes, give the date from	m which the	.]		
revision took place and al	so indicate the			
pre-revised scale				
14. Total emoluments per	month now dra	awn		
Basis Pay in the PB		Grade Pa	<u>, </u>	
20 25 25 25 25 10 mm		Orace Fa	Y	Total Emoluments
	ļ		i	
15. In case the applicant	belongs to an	Organizati		
Pay-scales, the latest sale	ary slin issued	Organisation	which is not fo	llowing the Central Government g the following details may be
enclosed.	311 311 133UEU	by the Organ	nisation showing	g the following details may be
Basic Pay with Scale of	Dearness Pay			
Pay and rate of	relief (ather	//interim	Total Emolume	ents
increment	relief /other			
	etc., (with break-up			
	details)			
				i
				ļ
CA ALTO				
6.A Additional informat	ion, if any, re	levant to the		
post you applied for in su	pport of your	suitability for		
ne post.			ľ	
This among other things m	rmation with	٠.		
egard to (i) additional academic qualifications (ii)				*
		(11)		

professional training and (iii) work experience over and	
above prescribed in the Vacancy	8
Circular/Advertisement)	
(Note: Enclose a separate sheet, if the space is	
insufficient)	3
3370048339500 1 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
16.B Achievements:	
The candidates are requested to indicate information	
with regard to;	
(i) Research publications and reports and special	
projects	
(ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation	
(iii) Affiliation with the professional	
bodies/institutions/societies and;	
(iv) Patents registered in own name or achieved for the	
organization	
(v) Any research/ innovative measure involving official	00
recognition vi) any other information.	*
(Note: Enclose a separate sheet if the space is	
insufficient)	
17. Please state whether you are applying for	
deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.#	
(Officers under Central/State Governments are only	*
eligible for "Absorption". Candidates of non-	
Government Organizations are eligible only for Short	1
Term Contract)	6
# (The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment'	***
are available only if the vacancy circular specially	
mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or	
"Re-employment"}.	
40 What about 0000	
18. Whether belongs to SC/ST	
1 have carefully gone through the	
I have carefully gone through the vacancy circul	
information furnished in the Curriculum Vitae duly supp	orted by the documents in respect of Essential

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

	(Signature of the candidate)
	Address
Date	*. *

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

- 2. Also certified that;
- There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt._ i)
- ii) His/ Her integrity is certified.
- His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly iii) attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed..
- No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years \underline{Or} A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)